यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल** के माह 12/2016 से माह 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, श्री जी0 के0 बत्रा पर्यवेक्षक एवं श्री मोहम्मद सलीम खान, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक द्वारा दिनांक 19.03.2018 से 31.03.2018 तक श्री के0 एल0 भट्ट, व0 ले0 प0 अ0 के पर्यवेक्षण मे संपादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री श्री रवीन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री श्रवण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मोहम्मद सलीम खान, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक द्वारा दिनांक 07.12.2015 से 23.12.2015 तक श्री प्रेम सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित लेखापरीक्षा में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 04/2013 से 11/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः वानिकी एवं वन्य जीवन को संरक्षित करने के कार्य।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	613.28
2015-16	655.49
2016-17	718.69

(ii) (ब) बजट का विवरण

वगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2014-15	--	--	948.88	948.88	544.39	544.39
2015-16	--	--	854.68	854.68	854.86	854.86
2016-17	--	--	958.83	958.83	958.83	958.83

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	**प्रा0 अ0**	व्यय
2015-16	Project Tiger	209.06	209.05
	Project Elephant	2.85	2.84
2016-17	Project Tiger	524.93	524.93
	Project Elephant	6.50	6.50

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (केंद्र एवं राज्य सरकार) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख मुख्य वन संरक्षक → मुख्य वन संरक्षक → वन संरक्षक → उपनिदेशक।

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:- (**राजस्व एंव व्यय हेतु अलग-अलग बताये**)**

माह 02/2017 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

माह 02/2017 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो --------------------

(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन ....------ .... (प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **FR-168** वर्ष **2017-18**

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-II 'अ'

(अति गम्भीर अनिय मतताएं)

प्रस्तर-1

भाग-II 'ब'

(गम्भीर अनिय मतताएं)

प्रस्तर-1

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II-अ

प्रस्तर-1

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-1

(व्यय)

भाग दो ब

प्रस्तर **01 : लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय** ₹ 31.00 **लाख।**

वभाग में प्रच लत कार्य पद्धति के अनुसार किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पष्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

कार्यालय कार्बेट टाइगर रिजर्व के द्वारा लेंटाना उन्मूलन कार्य हेतु प्रस्तुत की गयी सूचना का विश्लेषण निम्न लिखित है ।

1- लेंटाना उन्मूलन हेतु वर्ष 2014-15 मे द्वितीय वर्ष के लिए 192 हे0 पर ₹ 4208 प्रति हेक्ट की दर से ₹ 80,800 का व्यय किया गया है जबकि 2013-14 मे प्रथम वर्ष हेतु कोई कार्य नहीं हुआ था इसी प्रकार 2014-15 तृतीय वर्ष हेतु 685 हे0 पर ₹ 1,974 प्रति हे0 की दर से ₹ 13,52,000 का व्यय बताया गया है जबकि वर्ष मे 2013-14 मे द्वितीय वर्ष मे 183 हे0 पर ही उन्मूलन का कार्य किया गया था।

2- वर्ष 2015-16 मे द्वितीय वर्ष मे 115 हे0 पर उन्मूलन कार्य किया गया जिस पर ₹ 4000 प्रति हे0 की दर से ₹ 4,60,000 का व्यय किया गया था जबकि 2014-15 मे प्रथम वर्ष के लिए उन्मूलन कार्य ही नहीं किया गया।

3- वर्ष 2016-17 मे द्वितीय वर्ष के लिए उन्मूलन कार्य 155 हे0 पर ₹ 4258 प्रति हे0 की दर से ₹ 6,60,000 का व्यय किया जबकि 2015-16 मे प्रथम वर्ष उन्मूलन कार्य नहीं किया गया है इसी प्रकार 2016-17 मे तृतीय वर्ष हेतु 210 हे0 पर कार्य किया गया जबकि वर्ष 2015-16 मे द्वितीय वर्ष मे 115 हे0 पर ही उन्मूलन कार्य किया गया है।

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला गया कि-192 हे पर वित्तीय वर्ष 2014-15 मे किया गया व्यय ₹ 8,08,000 तथा तृतीय वर्ष हेतु 502 (685-183) पर ₹9,90,948 (502x1974) का व्यय निष्फल रहा।

इसी प्रकार 2015-16 मे द्वितीय वर्ष हेतु 115 हे0 पर ₹ 4,60,000 का व्यय निष्फल रहा क्योकि वर्ष 2014-15 मे प्रथम वर्ष के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है।

वर्ष 2016-17 मे द्वितीय वर्ष मे 155 हे0 पर ₹ 4258 की दर से उन्मूलन कार्य पर ₹6,60,000 का व्यय निष्फल रहा क्योकि पूर्व मे वर्ष 2015-16 मे प्रथम वर्ष के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था तथा वर्ष के दौरान 115 के सापेक्ष 210 हे0 पर तृतीय वर्ष के लिए 95 हे (210-115) पर ₹ 1,**80**,975 (95x 1905) का व्यय निष्फल रहा।

इस प्रकार वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक लेंटाना उन्मूलन हेतु किया गया व्यय ₹ 30,99,923 निष्फल रहे।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बजट उपलब्धता के अनुसार लेंटाना उन्मूलन किया गया।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क लेंटाना उन्मूलन का कार्य लगातार तीन वर्षो तक लया जाना चाहिए था। इस प्रकार तीन वर्षों तक लगातार लेंटाना उन्मूलन संबंधी कार्यवाही न कए जाने से 31.00 लाख के निष्फल व्यय हुआ।

प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग. दो (ब)

प्रस्तरः `17.33 की धनराशि की जमानत प्रतिभूति की राशियों को जमा ना किया जाना।

शासकीय कार्यो के सम्पादन हेतु कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूति जमा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर की लेखापरीक्षा में देखा गया कि

कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूति जमा के रूप में `17.33 लाख प्रतिभूति की राशियाँ जमा नहीं कराई गई थी। विवरण संलग्न है।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा यह उत्तर दिया गया कि दिये गये निर्देशानुसार समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से जमानत प्रतिभूति की धनराशि जमा करवा ली जायेगी।

उक्त प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम संख्या	**अधिकारियों / कर्मचारियों का नाम / पदनाम**	**एन.एस.सी. मानक**	**कार्यालय में जमा एन.एस.सी राशि**	**बकाया**
1.	श्री पंकज कुमार शर्मा,व0 क्षे0	50,000	—	50,000
2.	श्री धर्मानन्द ध्यानी,व0क्षे0	50,000	—	50,000
3.	श्री राकेश कुमार, व0क्षे0	50,000	—	50,000
4.	श्री प्रभान्त हिन्दवाण, व0क्षे0	50,000	—	50,000
5.	श्री राज कुमार, व0क्षे0	50,000	—	50,000
6.	श्री मथुरा सिंह मावडी, उप राजिक	20,000	—	20,000
7.	श्री संजय कुमार पाण्डेय, उप राजिक	20,000	3000	17000
8.	श्री राजेन्द्र सिंह चकरायत, उप राजिक	20,000	—	20,000
9.	श्री ललित मोहन, वन दरोगा	20,000	—	20,000
10.	श्री होरीलाल, वन दरोगा	20,000	4000	16,000

11.	श्रीमति शादाब आलम, वन दरोगा	20,000	2000	18,000
12.	श्रीमति विमला सिंह, वन दरोगा	20,000	—	20,000
13.	श्री जितेन्द्र कुमार, वन दरोगा	20,000	—	20,000
14	श्री शोबन राम, वन दरोगा	20,000	2000	18,000
15.	श्री पूरन सिंह टगडिया, वन दरोगा	20,000	—	20,000
16.	श्री अबदुल सलाम, वन दरोगा	20,000	—	20,000
17.	श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, वन दरोगा	20,000	—	20,000
18.	श्री बालम सिंह रावत, वन दरोगा	20,000	—	20,000
19	श्री हरीश चन्द ध्यानी, वन दरोगा	20,000	—	20,000
20.	श्री ध्यान सिंह रावत, वन दरोगा	20,000	—	20,000
21.	श्री बच्ची राम, वन दरोगा	20,000	—	20,000
22.	श्री लीला राम, वन दरोगा	20,000	2000	18,000
23	श्री बुद्दि सिंह किरौला, वन दरोगा	20,000	4000	16,000
24.	श्री हीरा सिंह	20,000	—	20,000

	मेहरा, वन दरोगा			
25.	श्री गौरी राम, वन दरोगा	20,000	2000	18,000
26.	श्री राकेश कुमार, वन दरोगा	20,000	2000	18,000
27.	श्री डुगर राम, वन दरोगा	20,000	4000	16,000
28.	श्री भुपाल सिंह बिष्ट, वन दरोगा	20,000	—	20,000
29.	श्री गणेश चन्द्र तिवारी, वन दरोगा	20,000	—	20,000
30.	श्री प्रकाश राम, वन दरोगा	20,000	2000	18,000
31.	श्री दयाल सिंह राणा, वन दरोगा	20,000	2000	18,000
32.	श्री कैलाश चन्द्र जोशी, वन दरोगा	20,000	6000	14,000
33.	श्री महेश चन्द्र भागवत, वन दरोगा	20,000	4000	16,000
34.	श्री कमलेश्वर सिंह, वन दरोगा	20,000	—	20,000
35.	श्री धनश्याम नैनवाल, वन दरोगा	20,000	2000	18,000
36.	श्री हरीश राम, वन दरोगा	20,000	—	20,000
37.	श्री अवधेश सिंह,	20,000	—	20,000

	वन दरोगा			
38.	श्री गजेन्द्र सिंह अधिकारी, वन दरोगा	20,000	—	20,000
39.	श्री रतन राम, वन दरोगा	20,000	—	20,000
40.	श्री गोविन्द बल्लभ जोशी, वन दरोगा	20,000	4000	16,000
41.	श्री किशन सिंह नेगी, वन दरोगा	20,000	—	20,000
42.	श्री जगदीश प्रकाश, वन दरोगा	20,000	—	20,000
43.	श्री गौरी दत्त तिवारी, वन दरोगा	20,000	—	20,000
44.	श्री सन्तोष कुमार डांगी, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
45.	श्री दर्शन सिंह, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
46.	श्री विनोद बिष्ट, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
47.	श्री महेश चन्द्र जोशी, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
48.	श्री देवेन्द्र सिंह रावत, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
49.	श्रीमति पार्वती नन्दन जोशी, वन आरक्षी	10,000	2000	8000
50.	श्री खुशाल सिंह, वन आरक्षी	10,000	2000	8000

51.	श्री नवीन पपने, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
52.	श्री देवकी नन्दन धुलिया, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
53.	श्रीमति भगवति सति, वन आरक्षी	10,000	5000	5000
54.	श्री भारत सिंह रावत, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
55.	श्री सरत सिंह बिष्ट, वन आरक्षी	10,000	3000	7000
56.	श्री हरीश चन्द्र रिखाडी, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
57.	श्री ललित किशोर मिश्रा, वन आरक्षी	10,000	5000	5000
58.	श्री धर्मपाल सिंह नेगी, वन आरक्षी	10,000	3000	7000
59.	श्री महेन्द्र सिंह, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
60.	श्री ललित मोहन चौधरी, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
61.	श्री प्रकाश चन्द्र मथ्वाल, वन आरक्षी	10,000	2000	8000
62.	श्री हरीश चन्द्र सुन्दरियाल, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
63.	श्री सुरेश चन्द पाण्डे, वन आरक्षी	10,000	—	10,000

64.	श्री दयाशंकर, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
65.	श्री बब्बन, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
66.	श्री मुकेश सिंह, वन आरक्षी	10,000	3000	7000
67.	श्री समरपाल सिंह, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
68.	श्री मकसूद अली, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
69	श्री नरेन्द सिंह नेगी, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
70.	श्री चन्द प्रकाश बेलवाल, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
71.	श्री संतोष सिंह बिष्ट, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
72.	श्री कुमारी रितु बेलवाल, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
73	श्री गजेन्द्र सिंह रावत, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
74.	श्री कुलदीप सिंह, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
75.	श्री कुमारी हेमा, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
76.	श्री गोपाल सिंह बिष्ट, वन आरक्षी	10,000	—	10,000
77.	श्रीमति बबीता	10,000	2000	8000

	सती, वन आरक्षी			
78.	कुमारी सविता आर्या, वन आरक्षी	10,000		10,000
79.	श्री यशवन्त सिंह रौतेला, वन आरक्षी	10,000		10,000
80.	श्री सुदेश कुमार, वन आरक्षी	10,000		10,000
81.	श्री मोहन चन्द ऊप्रेती, वन आरक्षी	10,000	2000	8000
82.	श्री ख्याली दत्त, वन आरक्षी	10,000		10,000
83.	श्री प्रकाश चन्द पपने, वन आरक्षी	10,000	2000	8000
84.	श्री भूपाल सिंह बिष्ट, वन आरक्षी	10,000	2000	8000
85.	श्री इन्द्र मोहन ध्यानी, वन आरक्षी	10,000		10,000
86.	श्री पूरन सिंह बिष्ट, वन आरक्षी	10,000		10,000
87.	श्री सुरेन्द्र सिंह बौरा, वन आरक्षी	10,000		10,000
88.	श्री मोहन चन्द, वन आरक्षी	10,000		10,000
89.	श्री हरेन्द्र सिंह नेगी, वन आरक्षी	10,000	2000	8000
90.	श्री रविन्द्र कुमार, वन आरक्षी	10,000		10,000
91.	श्री रतन सिंह, वन आरक्षी	10,000		10,000

92.	श्रीमति विजय लक्ष्मी, वन आरक्षी	10,000		10,000
93.	श्री प्रेमा बिष्ट, वन आरक्षी	10,000		10,000
94.	श्री हरीश चन्द्र, वन आरक्षी	10,000		10,000
95.	श्री असलम, वन आरक्षी	10,000		10,000
96.	श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, वन आरक्षी	10,000		10,000
97.	श्री जितेन्द्र कुमार, वन आरक्षी	10,000		10,000
98.	श्री दिगम्बर सिंह नेगी, वन आरक्षी	10,000	2000	8000
99.	श्री ललित मोहन, वन आरक्षी	10,000		10,000
100.	श्री मोहन लाल पन्त, वन आरक्षी	10,000		10,000
101.	श्री जगदीश चन्द्र आर्या, वन आरक्षी	10,000		10,000
102.	श्री प्रताप सिंह, वन आरक्षी	10,000		10,000
103.	श्री अशोक कुमार ध्यानी, वन आरक्षी	10,000		
104.	श्री प्रमोद कुमार सत्यवली,वन आरक्षी	10,000	2000	8000
105.	श्री प्रमोद डोर्वी, वन आरक्षी	10,000		

106.	श्री धनीराम, वन आरक्षी	10,000		
107.	श्री आशुतोष सती, वन आरक्षी	10,000		
108.	श्री सर्वजीत कौर, वन आरक्षी	10,000		
109.	श्री मुकेश कुमार, वन आरक्षी	10,000	2000	8000
110.	श्री हरेन्द्र पाल सिंह, वन आरक्षी	10,000	2000	8000
111.	श्री रितेश त्रिपठी,वन आरक्षी	10,000		
112.	श्री मो0 शोएब अन्सारी, वन आरक्षी	10,000		
113.	कु0स्वाती, वन आरक्षी	10,000		
114.	श्री सन्दीप काम्बोज, वन आरक्षी	10,000		
115.	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डे, वन आरक्षी	10,000		
116.	श्री विरेन्द्र सिंह बिष्ट, वन आरक्षी	10,000		
117.	श्री दीपक कुमार, वन आरक्षी	10,000		
118.	श्री अजीत कुमार चौहान, वन आरक्षी	10,000		
119.	श्री कृष्णा चन्द	10,000		

	पन्त, वन आरक्षी			
120.	श्री पान सिंह बिष्ट, वन आरक्षी	10,000		
121.	श्री भुपेन्द्र सिंह, वन आरक्षी	10,000		
122.	श्री सुनील सिंह, वन आरक्षी	10,000		
123.	श्री शराफत अली, वाहन चालक	10,000	2000	8000
124.	श्री चन्द्रपाल, वाहन चालक	10,000		
125.	श्री महेन्द्र सिंह नेगी, कनिष्ट सहायक	5000		
				कुल योग – 17,33,000

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 35.43 लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13.02.2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुई हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा। कार्यालय निदेशक, कार्वेट टाइगर रिजर्व, रामनगर (नैनीताल) के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया कि:–

1. 16 वन दरोगाओं[1] को उनके ग्रेड वेतन ` 4200 एवं ` 4600 को संशोधित करते हुये ` 4800 ग्रेड वेतन किया गया। कार्यालय द्वारा उक्त शासनादेश के अनुरुप वेतन संशोधित करते समय ग्रेड वेतन ` 4800 के न्यूनतम वेतन पर वेतन निर्धारण किया गया जबकि संशोधित वेतन में सिर्फ ग्रेड वेतन को सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इसप्रकार, कार्यालय द्वारा न्यूनतम वेतन ` 13350+ ` 4800 = ` 18150 पर वेतन निर्धारण किए जाने के परिणामस्वरुप सम्बन्धित 16 वन दरोगाओं को माह 11/2013 से माह 02/2018 तक कुल ` 33.57 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

2. एक कार्मिक श्री जयपाल सिहं रावत, उप राजिक का दिनांक 01.11.2013 को देय वेतन वेतन ` 15210 .+ ` 5400 = ` 20610 होना चाहिए था जबकि वेतन निर्धारण ` 16470 + ` 5400 = ` 21870 पर किया गया। इसप्रकार, त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण उक्त कार्मिक को माह नवम्बर 2013 से फरवरी 2018 तक वेतन एवं भत्तों में ` 1.69 लाख का अधिक वेतन भुगतान किया गया।

---

[1] श्री ध्यान सिंह रावत : रु0 2,20,618, श्री लीलाराम : रु0 2,20,618, श्री हरीश राम : रु0 2,20,618, श्री दयाल सिंह राणा : रु0 2,63,168, श्री गजेन्द्र सिंह अधिकारी : रु0 2,63,168, श्री हीरा सिंह मैहर : रु0 2,63,168, श्री गोविन्द बल्लभ जोशी : रु0 2,63,168, श्री जगदीश प्रकाश : रु0 2,42,706, श्री किरण सिंह नेगी : रु0 1,19,242, श्री भूपेन्द्र सिंह : रु0 1,75,810, श्री कैलाश चन्द्र जोशी : रु0 2,01,166, श्री मथुरा सिंह : रु0 2,12,632, श्री संजय कुमार पाण्डे : रु0 2,08,372, श्री महेश चन्द भगत : रु0 2,63,168 एवं श्री राकेश कुमार : रु0 2,20,618

इसप्रकार, त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरुप 17 कार्मिकों को ` 35.43 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर निदेशक ने अपने उत्तर में बताया कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण का प्रकरण वर्तमान समय में गतिमान है। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर वेतन से वसूली कर ली जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समस्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण उक्त शासनादेश के अनुरुप ही किया जाना चाहिए था।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप ` 35.43 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता

भाग दो ब

प्रस्तर -04 अनियमित व्यय 3.75 लाख एवं अधिक भुगतान 0.27 लाख

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅाक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(1) रुपये 10,00,000 (रु0 दस लाख) या उससे कम लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचीबद्ध सम्भावित ठेकेदारों/फर्मों/संस्थाओं से नियम–60 के अधीन सीमित निविदा सूचना के माध्यम से निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्ताव मांगे जायें। इस प्रकार चिन्हित ठेकेदारों/ संस्थाओं/ संगठनों की संख्या 6 (छह) से कम न हो।

प्रभाग के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 ग्लोबल मैन पावर सैल्यूषन्स नैनीताल द्वारा अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी है तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए 10/2016 से 03/2017 तक **₹ 3,75,962** का भुगतान किया गया है (विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार)।इस सेवा प्रदाता **से** सेवा प्राप्ति बिना सीमित निविदा सूचना के तथा बिना किसी अनुबंध के कर लिया गया है जबकि सेवा प्रदाता का चयन करने के पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅाक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के अनुसार सीमित निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके।

मानव श्रम शक्ति की दरों की तुलना प्रदेश सरकार के ही सेवा प्रदाता (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड-उपनल), जो कि इस प्रभाग में भी सेवा प्रदान कर रहा है, की दरों से की और यह पाया कि मै0 मै0 ग्लोबल मैन पावर सैल्यूषन्स नैनीताल की सेवाएँ समान अवधि में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (प्रदेश सरकार का सेवा प्रदाता) द्वारा प्रदान की गयी समान सेवाओं की तुलना में अत्यधिक महंगी हैं। मै0 ग्लोबल मैन पावर सैल्यूषन्स नैनीताल द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि मूल मजदूरी का 25.61 प्रतिशत लेने के बजाय कुल मजदूरी का 25.61 प्रतिशत लिया जा रहा जिससे भुगतान मे ₹ 498 प्रति मजदूरी **x** 29 मजदूर = ₹ 14442 का अधिक भुगतान तथा सेवा शुल्क 7 प्रतिशत लिया गया है जबकि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (प्रदेश सरकार का सेवा प्रदाता) द्वारा 2.5 प्रतिशत लिया जाता है जिससे प्रति मजदूरी ₹ 12714 (486 **x** 9 = 4374 +417 x20 = 8340) का अधिक भुगतन लिया गया है। इस प्रकार कुल ₹ 27,156 का अधिक भुगतान प्रभाग द्वारा किया गया है एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅाक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के अनुसार सीमित निविदा सूचना निर्गत नहीं किया गया है।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य की आवश्यकता के आधार पर सीमित निविदा का आमंत्रण नहीं किया गया । उत्तर मान्य नहीं था क्योकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅाक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के अनुसार सीमित निविदा सूचना निर्गत करके ही सेवा प्राप्त की जानी चाहिए थी।

भाग 2 ब

प्रस्तर – 05 वन्य जीवो द्वारा जान माल की क्षति पहुचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप मे अनुग्रह धनराशि के भुगतान का लंबित रहना 22.63 लाख

उत्तराखंड शासन, वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या 2228/x-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 वन्य जीवों द्वारा जान-माल को क्षति पहुचाये जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप मे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने एवं इसका त्वरित भुगतान सुनिशित किए जाने के उद्देश्य से बनाई गयी।

नियमावली की मूल भावना यह थी कि वन्य जीवों द्वारा मानव को पहुचाई जाने वाली जान-माल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मनुष्य का वन विभाग एवं वन्य जीवों के प्रति आक्रोश रोका जा सके। कार्यालय निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर (नैनीताल) के अंतर्गत वन्य जीवों द्वारा क्षति एवं अनुग्रह राशि की माह मार्च 2017 की सूचना के अनुसार अनुग्रह राशि के रूप मे भुगतान किया जाना शेष था विवरण निमन्वत है:-

घटना का प्रकार	पीड़ित व्यक्तियों की संख्या	शेष धनराशि (` लाख मे)
मानव क्षति	01	1.00
पशु क्षति	33	4.06
फसल क्षति	1426	22.08
भवन क्षति	04	0.15
योग	1464	27.29

क्षतिपूर्ति के रूप मे `27.29 लाख की राशि का भुगतान किया जाना शेष था। प्रभाग के पास `6.43 लाख इस मद मे अवितरित पड़े है ।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मे (02/2018 तक) 22.63 लाख भुगतान किया जाना अवशेष है।
प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर -06 वाउचर प्रस्तुत न किया जाना ` 16.92 लाख

कार्यालय निदेशक, कार्बेट रिजर्व टाइगर के अभिलेखो की जांच मे माह मार्च 2017 के निम्नलिखित वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए।

क्र0 सं0	वाउचर संख्या	दिनांक	धनराशि (` मे)
01	01	09.03.2017	55200
02	02	09.03.2017	29800
03	03	09.03.2017	31200
04	05	09.03.2017	618997
05	13	09.03.2017	11430
06	14	19.03.2017	250762
07	15	25.03.2017	135000
08	16	25.03.2017	37276
09	17	25.03.2017	37276
10	18	25.03.2017	37276
11	19	25.03.2017	37276
12	20	25.03.2017	37276
13	21	25.03.2017	13620
14	22	25.03.2017	2000
15	23	25.03.2017	1440
16	24	25.03.2017	39445
17	25	25.03.2017	39445
18	26	25.03.2017	28461
19	27	25.03.2017	45109
20	28	25.03.2017	5100
21	29	25.03.2017	4500
22	30	25.03.2017	9500

23	31	25.03.2017	9000
24	32	25.03.2017	34000
25	33	25.03.2017	28000
26	34	25.03.2017	4000
27	35	25.03.2017	7500
28	36	25.03.2017	8500
29	37	25.03.2017	20500
30	38	25.03.2017	8500
31	39	25.03.2017	8500
32	40	25.03.2017	2000
33	41	25.03.2017	4500
योग			1642389

उक्त के अतिरिक्त कैम्पा योजना की माह फरवरी 2017 का वाउचर 02 दिनांक 17.02.2017 धनराशि ` 50,000 लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त बिल एवं वाउचर मासिक लेखे के साथ का0 महालेखाकर (ले0 एवं हक0) को प्रेषित किया जा चुका है एवं वर्तमान मे भौतिक सत्यापन हेतु लेखा परीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं हुआ एवं वाउचर संख्या 02 के सहित आगामी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत कर किया जाएगा।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

राजस्व
भाग दो ब
प्रस्तर –01 स्टांप शुल्क जमा न कराये जाने से राजस्व क्षति ` 0.30 लाख

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17 (1) (घ) में यह प्रावधान किया गया है कि वर्षनुवर्ष, या एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिये या वार्षिक किराया सुरक्षित करने वाली, अचल–सम्पत्ति की लीज के लेखपत्र का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। लीज के जो विलेख एक वर्ष से कम अवधि के लिए हैं उनका रजिस्ट्रीकरण ऐच्छिक है किन्तु उसके प्रतिफल की धनराषि पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित है।

कार्यालय निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ढिकाला स्थित बडी कैन्टीन को एक –एक वर्ष हेतु महाप्रबन्धक (पर्यटन) कूमायू मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल को वर्ष 2015–16 हेतु `7,07,116 एवं 2016–17 हेतु `7,77,828 के किराये के आधार पर संचालन को अनुमति प्रदान की गयी। उक्त हेतु न तो कोई अनुबंध किया गया है न ही स्टाम्प ड्ïयूटी जमा करायी गयी है। उक्त धनराषि वर्ष 2015–16 का ` 707116 एवं वर्ष 2016–17 का ` 7,77,828 कुल `14,84,944 का 2 प्रतिषत कुल `29,699 की स्टाम्प ड्यूटी देय है।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध उचित स्टांप शुल्क के साथ कराया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य विंदुओ जो कि निम्नलिखित है कि सूचना आगामी लेखा परीक्षा मे उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

1. ढिकाला बडी कैन्टीन उपरोक्त किराये के अतिरिक्त किराये पर दिये गये अन्य भवन/स्थान का किराया कितना लिया जा रहा है, का विवरण।
2. क्या कैन्टीन में उपलब्ध फर्नीचर आदि का किराया फर्म द्वारा जमा कराया जा रहा है। यदि हां तो उसका विवरण।
3. ढिकाला बडी कैन्टीन के अलावा और कितनी कैन्टीन का संचालन किया जा रहा हैं तथा उक्त सभी कैन्टीन के आंबटन का नियम एवं शर्ते क्या है? उक्त की प्रति।
4. क्या वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की सभी कैन्टीन की किराये आदि की धनराषि फर्म द्वारा जमा करा दी गयी है। यदि हां तो उसका विवरण उपलब्ध कराये।

भाग-III

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **FR-168** वर्ष **2017-18**

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अंकत कया जाय)

राजस्व से संबंधत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
163/2015-16	-	01

व्यय से संबंधत: वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
163-2015-16	-	01

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

(2) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

राजस्व एवें व्यय से सम्बन्धित अलग-अलग दर्शायेः

1. विगत लेखापरीक्षा से पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की पत्रावली उपलब्ध न कराया जाना।

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री समीर सन्हा	निदेशक
2	श्री सुरेन्द्र मेहरा	निदेशक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी